

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग एन०एच०-509 (पुराना एन०एच०-93) किमी० चैनेज 192.230 से 197.450 तक (5130मी०) बांयी पटरी एवं बदौयू-चन्दौसी मार्ग (एस०एच०-43) किमी० चैनेज 42.000 से 44.170 तक बांयी पटरी (2170मी०) 4" प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.438 हे० क्षेत्रफल में भूमिगत गैस पाईपलाइन बिछाई जाने हेतु संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाइन/152159/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-358/81-2-2022-800(393)/2022 दिनांक 12 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 11-01-2023 14:07:15

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।